परिपत्र

परिपत्र संख्या :पीएफआरडीए/2026/30/एसयूपी-एएसपी/01 **दिनांक : 14 मई 2026**

प्रति,

सभी सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) और एनपीएस के अंतर्गत अन्य हितधारक

विषय : विशेष मामलों में वार्षिकी पॉलिसी के अभ्यर्पण करने की अनुमति और प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण

1. पीएफआरडीए के परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2024/18/एसयूपी-एएसपी/01 दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ लिया जाए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था, कि वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) द्वारा वार्षिकी के किसी भी अभ्यर्पण या निरस्तीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी, सिवाय 'फ्री लुक कैंसिलेशन अवधि' के दौरान किए गए निरस्तीकरण के; और ऐसे निरस्तीकरण से प्राप्त राशि का उपयोग वार्षिकी धारक (एन्युइटेंट) की पसंद के अनुसार, उसी एएसपी या किसी अन्य एएसपी से दूसरी वार्षिकी जारी करने के लिए किया जाएगा। इस प्रतिबंध का प्राथमिक उद्देश्य अभिदाताओं के लिए दीर्घकालिक वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

2. पीएफआरडीए को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इस प्रतिबंध के कारण वार्षिकीधारकों (एन्युइटेंट्स) को होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ संदर्भित परिपत्र जारी होने से पहले जारी की गई वार्षिकी पॉलिसी में विशेष परिस्थितियों के लिए अभ्यर्पण का स्पष्ट प्रावधान मौजूद था। वार्षिकी धारक (एन्युइटेंट) या उसके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी होने की स्थिति में भी वार्षिकी अभ्यर्पण करने की अनुमति देने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

3. समीक्षा के उपरांत और अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित मामलों में वार्षिकी पॉलिसी के अभ्यर्पण संबंधी प्रतिबंध में ढील देने का निर्णय लिया गया है:

क. वार्षिकी धारक (एन्युइटेंट) या उसके परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारी होने की स्थिति में; बशर्ते एएसपी द्वारा अपनाई गई मानक प्रक्रिया और नीति के अनुसार एएसपी द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया हो, जिसके आधार पर गंभीर बीमारी के मामलों में अभ्यर्पण की अनुमति दी जाती है।

ख. 24 अक्टूबर, 2024 से पहले जारी की गई वार्षिकी पॉलिसियाँ, जिनके पॉलिसी दस्तावेज़ में अभ्यर्पण का स्पष्ट प्रावधान मौजूद है।

4. अभ्यर्पण की प्रक्रिया मूल पॉलिसी अनुबंध के नियमों और शर्तों, विशेष वार्षिकी योजना की विशेषताओं, तथा पीएफआरडीए और आईआरडीएआई के लागू दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन में होगी।

5. पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वार्षिकी धारक (एन्युइटेंट) के हितों की रक्षा करने के लिए, एएसपी द्वारा ऐसे अभ्यर्पण अनुरोधों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा:

क. अभ्यर्पण अनुरोध की प्रक्रिया से पूर्व, एएसपी द्वारा अभ्यर्पण पर हस्तांतरणीय अंतिम राशि की जानकारी वार्षिकी धारक (एन्युइटेंट)को लिखित रूप में प्रदान की जाएगी, जिसमें सभी लागू शुल्कों और करों का स्पष्ट विवरण दिया जाएगा।

ख. अभ्यर्पण केवल तभी किया जाएगा जब वार्षिकी धारक (एन्युइटेंट) से अंतिम अभ्यर्पण राशि के संबंध में स्पष्ट लिखित सहमति प्राप्त हो जाएगी; और ऐसी सहमति प्राप्त होने पर, अभ्यर्पण मूल्य वार्षिकी धारक (एन्युइटेंट) के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।

ग. अभ्यर्पण की गई वार्षिकी के संबंध में विपरीत सूचना प्रवाह को संबंधित सीआरए के साथ सात (7) कार्य दिवसों के भीतर साझा किया जाएगा।

घ. ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट प्राधिकरण में जमा की जाने वाली मासिक निरस्तीकरण रिपोर्ट में, उचित विवरण के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

6. उपर्युक्त परिपत्र में निहित अन्य सभी शर्तें पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेंगी।

भवदीया

GURMINDER KAUR

Digitally signed by GURMINDER KAUR
Date: 2026.05.14 11:09:31 +05'30'

गुरमिंदर कौर
महाप्रबंधक

CIRCULAR

Circular No: PFRDA/2026/30/SUP-ASP/01 **Date: 14th May 2026**

To,

All empanelled Annuity Service Providers (ASPs) and Other NPS Stakeholders

Subject: Clarification on permissibility and procedure for surrender of annuity policies in certain cases

1. Reference is invited to the PFRDA circular no. PFRDA/2024/18/SUP-ASP/01 dated October 24, 2024, which inter alia provided that no surrender or cancellation of annuities shall be entertained or permitted by the Annuity Service Provider (ASP) except for the cancellation during free look cancellation period and the proceeds of such cancellations shall be utilised for issuance of another annuity from the same ASP or any other ASP at the option of the annuitant. The primary objective of the restriction being to ensure long-term old-age income security for subscribers.

2. PFRDA has received representations citing hardship faced by annuitants on account of such restriction, specifically in cases wherein the annuities issued prior to issuance of referred circular provided explicit surrender clause in specific circumstances. Requests have also been received to allow surrender of annuity in case of critical illness of the annuitant or any family member of the annuitant.

3. Upon review and to protect the interests of subscribers, it has been decided to relax the restriction of surrender of annuity policies in the following cases:

   a. Critical illness of the annuitant or his/her family members, subject to assessment by the ASP as per the standard process and policy adopted by the ASP for allowing such surrender for critical illness.

   b. Annuity policies issued before October 24, 2024, which contain an explicit surrender clause in the policy document.

4. The surrender process shall be in strict accordance with the terms and conditions of the original policy contract, specific annuity scheme features and applicable PFRDA and IRDAI guidelines.

5. To ensure transparency and protect interests of the annuitants, ASPs shall adhere to the following procedure for such surrender requests:

   a. Prior to processing the surrender request, the ASP shall communicate the final amount transferable upon surrender, providing a clear bifurcation of all applicable charges and tax in writing to the annuitant.

b. The surrender shall only be processed after receiving the annuitant's explicit written consent regarding the final surrender proceeds and upon receipt of such consent, the surrender value shall be remitted to the annuitant's bank account.

c. The reverse information flow regarding the surrendered annuity shall be shared with the respective CRA within seven (7) working days.

d. All such cases shall be reported in the monthly cancellation report submitted to the Authority, along with appropriate narration.

6. All other stipulations as contained in the abovementioned circular shall remain in full force and effect.

Yours sincerely

GURMINDER KAUR

Digitally signed by GURMINDER KAUR
Date: 2026.05.14 11:10:05 +05'30'

Gurminder Kaur
General Manager